छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम

(राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के समदृष्टि घटक अंतर्गत)

मार्गदर्शिका

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम

उद्धेश्य :–

महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में रोजगारपरक क्षमताओं का विकास कर उनमें रोजगार हेतु आत्मविश्वास की वृद्धि करना तथा उनकी रचनात्मक प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का उन्नयन करना । इसके अंतर्गत उन्हें अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर शिक्षा तथा सामान्य व्यवहार कौशल का ज्ञान 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के तहत इक्विटी इनिशियटिव घटक अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे युवाओं के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी।

कार्यक्रम का लाभ :–

1. प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी आंग्ल भाषा में संचार कौशल के साथ–साथ व्यक्तित्व विकास एवं कम्प्यूटर शिक्षा से प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

2. कार्यक्रम अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्ति में सहजता होगी। अधिक संख्या में रोजगार पाने से युवाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

3. अंग्रेजी भाषा संचार दक्षता का पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के पश्चात प्रतिभागी अंर्तराष्ट्रीय स्तर की दक्षता मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं की ऑन–लाईन परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे।

4. पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मूल्यांकन आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

5. इस कार्यक्रम के जरिये पाठ्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों के सहपाठी/मित्रों में प्रेरकीय प्रभाव होगा जिससे अपनी संचार व व्यवहार कौशल दक्षता विकसित करने का माहौल प्रदेश के युवाओं में बनेगा तथा महाविद्यालय के संकाय सदस्यों की क्षमता का विकास भी होगा जिसका लाभ कालांतर में महाविद्यालय कि विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहेगा।

कार्यक्रम का कियान्वयन :–

कार्यक्रम का कियान्वयन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जिला स्तर पर अधोलिखित अनुसार गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा।
समिति का स्वरूप –

- जिला कलेक्टर, अध्यक्ष
- प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, सदस्य सचिव,
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के जिला स्तरीय अधिकारी, सदस्य
- संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य, सदस्य

- जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार अन्य किसी विशेषज्ञ को भी समिति में आमंत्रित कर सकेंगे।

- कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु उक्त समिति के द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदायें आमंत्रित की जायेगी एवं निविदा के माध्यम से कार्यक्रम को संचालित करने के लिये योग्य एवं श्रेष्ठ क्षमतायुक्त एजेंसी/फर्म का चयन किया जायेगा।

- समिति के द्वारा कार्यादेश एवं किये गये कार्यो के मूल्यांकन/निरीक्षण पश्चात भुगतान की कार्यवाही भी जिला स्तर पर ही की जायेगी । इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर संग्रहित शुल्कांश के अतिरिक्त धनराशि 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के अंतर्गत उपलब्ध करायी जावेगी।

- कार्यक्रम के अंतर्गत ए0पी0एल0 वर्ग के छात्रों से लागत मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा तथा बी0पी0एल0 वर्ग के छात्रों से लागत मूल्य का 10 प्रतिशत का शुल्क लिया जायेगा । शेष राशि का भुगतान 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु दिये गये आबंटन से किया जायेगा।

- कार्यक्रम के लिये सीमित राशि उपलब्ध है, अतः प्रत्येक जिले के लिये लक्ष्य निर्धारित करते हुए छात्रों की संख्या परिशिष्ट''अ'' में संलग्न दर्शायी गयी है । उक्त संख्या से छात्रों की संख्या अधिक होने की दशा में प्रतिभागी संख्या बढायी जा सकती है किन्तु आबंटित संख्या से अधिक विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा तथा इसका आंकलन,निर्धारण एवं निर्णय जिला स्तर पर कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

- कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम व अन्य विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। इसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जिला स्तरीय समिति द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

- निविदा आमंत्रित करने हेतु नियम/शर्ते आदि से संबंधित आवश्यक विवरण युक्त आदर्श प्रारूप परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। इस प्रारूप में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त समिति कोई भी परिवर्तन करने के लिये सक्षम है, किन्तु यह ध्यान रखा जावे कि कार्यक्रम के स्वरूप एवं गुणवत्ता में कोई ह्रास ना हो।

- विभागीय आंकलन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी से शुल्क रू0 पॉच हजार से अधिक नही होना चाहिये, यद्यपि इसका निर्धारण निविदा के आधार पर ही किया जायेगा।

शासकीय महाविद्यालयों की जिलेवार वर्गीकृत सूची

वर्ग	छात्र संख्या
वर्ग – A	
रायपुर	1500
दुर्ग	1500
राजनांदगांव	1000
बिलासपुर	1000
वर्ग – B	
कबीरधाम–कवर्धा	500
जगदलपुर	400
जांजगीर	300
कोरबा	400
रायगढ़	300
सरगुजा	300
बलौदा बाजार	200
महासमूंद	200
धमतरी	200
बालोद	200
कांकेर	200
वर्ग – C	
बेमेतरा	200
कोण्डागांव	200
दंतेवाडा	200
मुंगेली	200
जशपुर नगर	200
सूरजपुर	200
बलरामपुर	200
कोरिया	200
वर्ग – D	
गरियाबंद	50
नारायणपुर	50
सुकमा	50
बीजापुर	50
योग	10,000

//परिशिष्ट "ब"//

100 घण्टों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु सुझावित पाठ्यक्रम अधोलिखित अनुसार है :–

क्र0	विषय	घटक	अवधि	अभ्युक्ति
1.	कम्प्युटर साक्षरता	कम्प्यूटर संचालन, वर्ड, एक्सेल, पॉवर प्वाईंट, पेंट ब्रश का उपयोग, पेन ड्राइव/सीडी–रीड एंड राईट, इंटरनेट (ई–मेल आई0डी0 बनाना, मेल करना सर्फिंग आदि का प्रायोगिक ज्ञान)	40 घण्टा	सैद्धांतिक कक्षायें–10 घंटे प्रायोगिक कार्य–30 घंटे
2.	अंग्रेजी भाषा संचार कौशल	आधारभूत ग्रामर, वाक्य संयोजन व सामान्य अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान, दैनिक जीवन संबंधी बातों का अंग्रेजी भाषा में वाक् व पठन कौशल अभ्यास के अतिरिक्त यूरोपियन स्टैण्डर्ड फ्रेमवर्क अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम ।	40 घंटे	सैद्धांतिक कक्षाए– 15 घंटे अभ्यास कार्य–25 घंटे
3.	सामान्य व्यवहार एवं कौशल	जीवन के नैतिक मूल्य, सद्भावनायुक्त व्यवहार, बातचीज के बेहतर तरीके, प्रभावी अभिव्यक्ति एवं शरीर की भाषा, मॉक साक्षात्कार, समूह चर्चा, योगाभ्यास आदि।	20 घंटे	सैद्धांतिक कक्षाये– 10 घंटे अभ्यास कार्य–10 घंटे

नोट – उक्त पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन जिला स्तर पर किया जा सकता है।